संख्या: 46/2019/3120/12-2-2019-60(6)/2017

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2019

विषय: प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए फसल ऋण मोचन योजना की सशक्त समिति की दिनांक 20 अगस्त, 2019 को सम्पन्न बैठक से संबंधित कर एवं निबंधन अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 663बी/क0नि0-6-2019-बी0(15)/2017 टी0सी0 दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-1 में निर्णय लिया गया है कि "ऑफ लाइन शिकायतों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को योजना के अन्तर्गत चूंकि अन्तिम बार निस्तारित किया जा रहा है, इसलिए डी0एल0सी0 की संस्तुति के आधार पर अन्तिम रूप से दिनांक 16 अगस्त, 2019 को, जो डिमाण्ड जनरेट हुई है, उसमें जनपदवार पात्र कृषकों की सूची को जनपद की डी0एल0सी0 को पुन: परीक्षण करने हेतु प्रेषित कर दिया जाए। डी0एल0सी0 15 दिनों के अन्दर जनपद के सभी पात्र कृषकों की पात्रता का पुन: सत्यापन करने के दौरान बैंक शाखा से किसान का नाम, के0सी0सी0 धनराशि एवं अन्य विवरणों को नॉन एन0पी0ए0/एन0पी0ए0 योजना में विहित प्राविधानों के अनुसार संबंधित बैंक शाखा तथा राजस्व कार्मिकों के माध्यम से पुष्टि कराते हुए जो भी कृषक योजना के प्राविधानों के अनुसार पुन: पात्र पाये जायें, उनको डी0एल0सी0 द्वारा पुन: परीक्षण कर पात्र कृषकों को भुगतान करने हेतु अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे तथा डी0एल0सी0 इसकी आडिट भी 15 दिन की अवधि में आडिट रिपोर्ट के साथ पात्र कृषकों की भुगतान की संस्तुति के साथ कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को भुगतान हेतु प्रेषित किया जाए तदोपरान्त राज्य स्तर से नोडल बैंकों के माध्यम से पात्र कृषकों का भुगतान किया जायेगा।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तर पर फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत ऑफ लाइन शिकायतों की डिमाण्ड जनरेशन का डाटा समस्त जनपदों को पुन: परीक्षण कर पात्र कृषकों को भुगतान करने हेतु कृषि निदेशालय के पत्र संख्या: एस0 केम्प-101 दिनांक 02 सितम्बर, 2019 द्वारा एक्सेल शीट उपलब्ध कराते हुए ऑफ लाइन शिकायतों के डिमाण्ड जनरेशन के डाटा का पुन: परीक्षण कर संस्तुति सहित 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किए जाने के फलस्वरूप अभी तक ऑफ लाइन शिकायतों के डिमाण्ड जनरेशन का डाटा पुन: परीक्षण कर कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण ऑफ लाइन शिकायतों की डिमाण्ड जनरेशन के पात्र कृषकों को ऋण मोचन की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

3. अत: कृपया ऑफ लाइन शिकायतों के डिमाण्ड जनरेशन का डाटा पुन: परीक्षण कर कृषि निदेशालय, लखनऊ को दिनांक 18 नवम्बर, 2019 तक प्रत्येक स्थिति में उलब्ध कराना सुनिचित करें ताकि ऑफ लाइन शिकायतों की डिमाण्ड जनरेशन के पात्र कृषकों को ऋण मोचन का लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या: 46/2019/3120(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बडौदा हाऊस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त नोडल बैंक अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in